न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 15/2010
दायर दिनांकः 23.11.2010
निर्णय दिनांक 13.02.2026

—: अनवान :—

1. श्रीमती नीकिता पुत्री स्व. श्री मन्ना लालजी जाति जैन महाजन निवासी देलवाडा हाल निवासी कवलियास जिला भीलवाडा।
2. श्रीमती मीनाक्षी पुत्री स्व. श्री मन्ना लालजी जाति जैन महाजन निवासी देलवाडा हाल निवासी नाथद्वारा जिलजा राजसमंद।

— अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री अनिल कुमार पिता स्व श्री मन्ना लाल जी जाति जैन महाजन उम्र वयस्क निवासी देलवाडा तहसील नाथद्वारा हाल उदयपुर।
2. मु0 विमला पत्नी स्व. श्री मन्ना लालजी जाति जैन महाजन उम्र वयस्क निवासी देलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
4. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत देलवाडा पंचायत समिति खमनोर तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद !
5. नरेन्द्र सिंह पुत्र उदयसिह जाति झाला राजपूत निवासी सोडावास, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
6. कमल कुमार पुत्र त्रिलोकीनाथ जाति पालीवाल ब्राहम्ण, निवासी देलवाडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

— रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 08.09.1998 नामान्तरकरण संख्या 57 के आदेश को अपास्त करने बाबत।

उपस्थित :—

1. श्री सम्पत लाल लडढा, आयुष लडढा, अधिवक्ता अपीलांट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,4,5, व 6 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)
3. श्री अनिल बागोरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 57 फैसल दिनांक 08.09.1998 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट संख्या एक एवं दो का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है :–

मन्ना लाल जी

|

अनील	विमला	नीकिता	मीनाक्षी
रे.स. 1	पत्नी	पुत्री	अपीलांट 2

उपरोक्त सजरे के अनुसार अपीलांट संख्या एक एवं दो रेस्पो. संख्या 1 एक की सगी बहने हैं एवं रेस्पो. संख्या 2 की पुत्रियां है तथा मन्नालाल जी अपीलांट संख्या एक एवं दो तथा रेस्पोडेंट संख्या एक के पिता थे तथा रेस्पो. संख्या दो के पति थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है। राजस्व गांव देलवाडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद में अपीलांट संख्या एक एवं दो के एवं रेस्पो. संख्या एक के पिता एवं रेस्पो. संख्या दो के पति के नाम पर खातेदारी की आराजियात स्थित है जिसके आराजी संख्या 2216, 2217, 2218, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, एवं 2235 कुल किता 12 कुल रकबा 11.1 ग्यारह बीघा एक बिस्वा स्थित है जिसमें मन्ना लाल जी का 1/6 हिस्सा था। मन्ना लाल जी की मृत्यु के बाद रेस्पो. संख्या एक एवं दो ने मन्ना लाल जी के वैधानिक उत्तराधिकारी बता कर मन्ना लाल जी की उपरोक्त विवरण की कृषि भूमियों में जिनमें मन्ना लाल जी का 1/6 हिस्सा था जिसको समस्या समाधान शिविर देलवाडा में अपने नाम पर नामान्तरणकरण में दर्ज करवा लिया तथा इस संबंध में अपीलांट को कोई जानकारी नहीं होने दी तथा गुपचूप तरीके से अपने नाम पर नामान्तरणकरण दर्ज करने की कार्यवाही कर ली। समस्या समाधान शिविर में रेस्पो. संख्या तीन एवं चार ने भी बिना किसी प्रकार की जांच किये तथा अपीलांट को बिना सुने अकेले रेस्पो. संख्या एक एवं दो के नाम पर मन्ना लाल जी के नाम की उपरोक्त विवरण की कृषि भूमियों को विरासत से रदोबदल करने की स्वीकृति जारी कर दी गई जिससे अपीलांट न्याय से वंचित रह गया है। रेस्पो. संख्या एक एवं दो के नाम पर उपरोक्त विवरण की कृषि भूमियां स्व मना लाल जी के नाम से विरासत से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई तथा रेस्पो. संख्या तीन एवं चार ने मन्ना लाल जी के वैधानिक उत्तराधिकारियों की बिना जांच पडताल

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

किये विरासत से नामान्तरणकरण रदोबदल करने की स्वीकृति जारी कर दी जिससे उक्त मन्ना लाल जी के नाम की कृषिभूमियां अकेले रेस्पो. संख्या एक एवं दो के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई तथा अपीलांट के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हुई जबकि अपीलांट दोनों उनकी जायन्दा पुत्रियां होकर मन्ना लाल जी की जायदाद में उनका भी रेस्पो. संख्या एक एवं दो के समान हक एवं अधिकार है। इस अवैध आदेश से रेस्पो. संख्या एक एवं दो के नाम पर राजस्व रेकार्ड में भूमियां दर्ज हो जाने के बाद रेस्पो. संख्या एक ने उपरोक्त आराजियात में से अपना 1/12 हिस्सा विक्रय कर दिया जबकि रेस्पो. संख्या एक का 1/12 हिस्सा नहीं होकर उसका 1/48 वां हिस्सा होता है फिर भी उसने राजस्व रेकार्ड में गलत नामान्तरणकरण दर्ज करा कर विकय पत्र दिनांक 09.06.2010 को निष्पादित करा दिया। जिससे अपीलार्थीगण अपील की सुनवाई तक रेस्पो. संख्या एक द्वारा निष्पादित कथित विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरणकरण किसी अन्य के नाम पर नहीं खोलें। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 8.9.1998 को निरस्त फरमाया जावे तथा दौराने अपील किसी प्रकार का नामान्तरणकरण राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया जावे तो उसे भी निरस्त कराने का आदेश पारित फरमाया जावे ।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,4,5 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि राजस्व गांव देलवाडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद में अपीलांट संख्या एक एवं दो के एवं रेस्पो. संख्या एक के पिता एवं रेस्पो. संख्या दो के पति के नाम पर खातेदारी की आराजियात स्थित है जिसके आराजी संख्या 2216, 2217, 2218, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, एवं 2235 कुल किता 12 कुल रकबा 11.1 ग्यारह बीघा एक बिस्वा स्थित है जिसमें मन्ना लाल जी का 1/6 हिस्सा था। मन्ना लाल जी की मृत्यु के बाद रेस्पो. संख्या एक एवं दो ने मन्ना लाल जी के वैधानिक उत्तराधिकारी बता कर मन्ना लाल जी की उपरोक्त

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विवरण की कृषि भूमियों में जिनमें मन्ना लाल जी का 1/6 हिस्सा था उसको अपने नाम पर नामान्तरणकरण में दर्ज करवा लिया तथा इस संबंध में अपीलांट को कोई जानकारी नहीं होने दी तथा गुपचूप तरीके से अपने नाम पर नामान्तरणकरण दर्ज करने की कार्यवाही कर ली। रेस्पो. संख्या तीन एवं चार ने भी बिना किसी प्रकार की जांच किये तथा अपीलांट को बिना सुने अकेले रेस्पो. संख्या एक एवं दो के नाम पर मन्ना लाल जी के नाम की उपरोक्त विवरण की कृषि भूमियों को विरासत से रदोबदल करने की स्वीकृति जारी कर दी गई जिससे अपीलांट न्याय से वंचित रह गया है। इस अवैध आदेश से रेस्पो. संख्या एक एवं दो के नाम पर राजस्व रेकार्ड में भूमियां दर्ज हो जाने के बाद रेस्पो. संख्या एक ने उपरोक्त आराजियात में से अपना 1/12 हिस्सा विक्रय कर दिया जबकि रेस्पो. संख्या एक का 1/12 हिस्सा नहीं होकर उसका 1/48 वां हिस्सा होता है फिर भी उसने राजस्व रेकार्ड में गलत नामान्तरणकरण दर्ज करा कर विकय पत्र दिनांक 09.06.2010 को निष्पादित करा दिया। जिससे अपीलार्थीगण अपील की सुनवाई तक रेस्पो. संख्या एक द्वारा निष्पादित कथित विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरणकरण किसी अन्य के नाम पर नहीं खोलें। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.1998 को निरस्त फरमाया जावे तथा दौराने अपील किसी प्रकार का नामान्तरणकरण राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया जावे तो उसे भी निरस्त कराने का आदेश पारित फरमाया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया आदेश तात्कालिक नियमों के अनुसार विधिसम्मत है। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में अपीलांट मृतक काश्तकार मन्ना लाल की पुत्रीयॉ है जिसका नाम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित नामांतरकरण संख्या 57 दिनांक 08.09.1998 में दर्ज नही किया गया हैं। उक्त प्रकरण मृतक खातेदार मन्ना लाल की कृषि भूमि के नामांतरण से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नामान्तरकरण आदेश में केवल मृतक के पुत्र श्री अनिल कुमार और उनकी पत्नी श्रीमती विमला को ही उत्तराधिकारी मानकर उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। मृतक मन्ना लाल जी की दोनो पुत्रियाँ इस आदेश से असंतुष्ट हैं, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम सम्मिलित नहीं किए गए हैं। और विधिक त्रुटि के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुत्रियों के उत्तराधिकार के अधिकार को नजर अंदाज कर दिया गया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि सह–दायिकी (Coparcenary) संपत्ति में पुत्रियों के समान अधिकार होते है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा

8 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी हिन्दु पुरुष की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार के सामान्य नियमों में यह उल्लेखित है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रियाँ भी पुत्र के समान ही प्रथम श्रेणी (Class-I) की उत्तराधिकारी हैं, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज न करना कानूनन त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को संशोधित कर पुत्रियों का नाम रिकॉर्ड में जोड़ा जाना न्यायोचित होगा। अतः अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 08.09.1998 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार देलवाडा को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं। कि मृतक काश्तकार के हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची के उत्तराधिकारीयों की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही नये सिरे से किया जाना सुनिश्चित करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 13.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)